Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025
(KARTIKA 22, 1947 SAKA)

LEGISLATIVE SUPPLEMENT

CONTENTS

		PAGES
PART-I	**ACTS**	
	NIL	
PART-II	**ORDINANCES**	
	THE HARYANA SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025	41
	(HARYANA ORDINANCE NO. 5 OF 2025).	
PART-III	**DELEGATED LEGISLATION**	
	NIL	
PART-IV	**CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS**	
	NIL	

PART - II

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 13th November, 2025

No. Leg. 28/2025.— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 13th November, 2025, is hereby published for general information:-

HARYANA ORDINANCE NO. 5 OF 2025

THE HARYANA SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

AN

ORDINANCE

further to amend the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) Ordinance, 2025.

Amendment of section 8 of Punjab Act 41 of 1963.

2. In section 8 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963,-

(I) in sub-section (1),-

(i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that where the permission for an industrial purpose in the conforming zone of the plan published under sub-section (7) of section 5 is granted through self-certification, the applicant, without following the procedure under sub-section (1), shall have to furnish such information online, as may be specified by the Director and shall pay the requisite fee and charges.".

(II) in sub-section (2),-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that where the permission for conforming zone is granted through self-certification, no further enquiry by the Director shall be required.".

CHANDIGARH:
THE 13th November, 2025.

PROF. ASHIM KUMAR GHOSH
GOVERNOR OF HARYANA

RITU GARG,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

12219—L.R.—H.G.P., Pkl.

भाग–II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 2025

संख्या लैज. 28/2025.– दि हरियाणा शेड्यूल्ड रोडज ऐण्ड कन्ट्रोलड एरियाज़ रस्ट्रिकशन आफ अनरेगुलेटिड डिवेलमैन्ट (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 नवम्बर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:–

2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5

हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2025
हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 को आगे संशोधित करने के लिए
अध्यादेश

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. यह अध्यादेश हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 8 में,– 1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 8 का संशोधन।

(I) उप–धारा (1) में,–

(i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि जहां धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन प्रकाशित योजना के अनुरूप अंचल में किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए अनुमति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो आवेदक को, उप–धारा (1) के अधीन प्रक्रिया को अपनाए बिना, ऐसी सूचना आनॅलाइन प्रस्तुत करनी होगी, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा अपेक्षित फीस तथा प्रभारों का भी भुगतान करेगा।"।

(II) उप–धारा (2) में,–

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु जहां अनुरूप अंचल के लिए अनुज्ञप्ति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो निदेशक द्वारा आगे कोई जांच करनी अपेक्षित नहीं होगी।"।

चण्डीगढ़:
दिनांक 19 नवम्बर, 2025.

प्रो0 असीम कुमार घोष,
राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12243—L.R.—H.G.P., Pkl.